

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24

धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी

वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश

प्रार्थी क्रेता

बनाम

बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा

निवासी -वार्ड नं 05,dhekha तहसील हुजूर रीवा

विपक्षी विक्रेता

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109-110 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने विपक्षी से निम्न वर्णित भूमि को बजरीय विक्रय पत्र क्रमांक

MP328492023A12025715 दिनांक **22-06-2023** के क्रय की है जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है।

सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग $20 \times 52 = 1040$ वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर

01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर गांव का नाम अटरिया जहां भूमि स्थित है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का नामांतरण किया जावे।

दिनांक -

हस्ताक्षर प्रार्थी

फार्म अ
(परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश - पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर के न्यायालय में मामला क्रमांक ----
/अ-6/2023-24 विषय विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण बाबत प्रकरण की श्रेणी जाँच प्रतिवेदन ग्राम अटरिया
बंदोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक 54 रीवा कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक सन 20 - 20 तहसीलदार का
प्रकरण क्रमांक.....सन 200 -200 नायब तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक ---- सन 20 -20

आदेश क्रमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान (1)	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही (2)	जहा आवश्यक हो पचीं अथवा वकीलों के हस्ताक्षर,आदेशों के पालन करवाकर लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण की तारीख (3)
___/___/2023	<p>आवेदक धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा म.प्र.भू.रा.स.1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम अटरिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग 20*52=1040 वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर पर विक्रेता बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा निवासी वार्ड नं 05,dhekha तहसील हुजूर रीवा के स्थान पर हक्रत्याग विलेख क्रमांक MP328492023A12025715 दिनांक के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।</p> <p>- प्रकरण दर्ज हो । - विज्ञप्ति जारी हो । - पटवारी से प्रतिवेदन लिया जावे । - हितबद्ध पक्षकार तलब हो । पेशी दिनांक / /2023</p> <p style="text-align: right;">नायब तहसीलदार तहसील वृत्त बनकुइया</p> <p>तहसील हुजूर</p>	<p>SL- ----- Date- / /2023 विज्ञप्ति,पटवारी लेटर एवं नोटिस</p>

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक /री-1/2023
/2023

तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, दिनांक /

प्रति,

पटवारी

ग्राम- अटरिया

SL -

Date- / /2023

विषय :- नामांतरण प्रकरण में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक क्रेता धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम अटरिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग 20*52=1040 वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर पर विक्रेता बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा निवासी- के स्थान पर विक्रय पत्र क्रमांक MP328492023A12025715 के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24 न्यायालय में प्रचलित है । अतः उक्त भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आप अपनी रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करें ।

1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं ?
2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?
3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ?
4. म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?
5. वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?
6. मौके पर भूमि सिंचित है या असिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा असिंचित है ?
7. कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?
8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा, अथवा किसी की आपत्ति है या नहीं ?
9. नामांतरण किये जाने की अनुसंशा है अथवा नहीं ?

उक्त रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुतकी जावें । नियत पेशी दिनांक तक प्रकरण में आपकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उक्त नामांतरण प्रकरण में आपकी अनुसंशा मानी जाकर एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेगी । एक तरफा कार्यवाही किये जाने के बाद प्रकरण में आपत्ति/विवाद होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपका माना जावेगा । अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावे ।

नायब तहसीलदार
तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)
(मामले वाद धारा 109, 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता नामांतरण)

SL-

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24

Date- / /2023

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम अटरिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग 20*52=1040 वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर पर क्रेता धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा, निवासी के स्थान पर नामांतरण हेतु इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।

अतएव जिस किसी को आपत्ति हो विज्ञप्ति चस्पा होने के दिन से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम अटरिया अथवा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर में प्रस्तुत करें। अवधि गुजरने के बाद को किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक / /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

प्रतिलिपि :-

1. एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
2. एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
3. एक प्रति बाद निर्वाहन वापस हो।

नायब तहसीलदार
तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष नायब तहसीलदार स्थान वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर मामले
के विषय नामांतरण मामला

SL-

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24

Date- / /2023

श्री/श्रीमती आवेदक धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश

विरुद्ध

दावा

श्री/श्रीमती वृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा निवासी - वार्ड नं 05, dhekha तहसील हुजूर रीवा आपको सूचित किया जाता है कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर पर होगी।

तारीख / /2023

मुद्रा

रीडर टू नायब तहसीलदार
तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

प्रष्टाकन क्रमांक 01

बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रष्टाकन क्रमांक 02

तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन

तारीख माह..... सन 2023 को बजे मेरे बाद तामिल किया गया।

तामिल करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो।

राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष नायब तहसीलदार स्थान वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर मामले
के विषय नामांतरण मामला

SL-

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24

Date- / /2023

श्री/श्रीमती आवेदक धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश

विरुद्ध

दावा

श्री/श्रीमती वृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा निवासी - वार्ड नं 05, dhekha तहसील हुजूर रीवा आपको सूचित किया जाता है कि उपयुक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर पर होगी।

तारीख / /2023

मुद्रा

रीडर टू नायब तहसीलदार
तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

प्रष्टाकन क्रमांक 01

बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रष्टाकन क्रमांक 02

तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन

तारीख माह..... सन 2023 को बजे मेरे बाद तामिल किया गया।

तामील करने वाले के हस्ताक्षर

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो ।

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

क्रेता के कथन

नाम पिता/पति का नाम व जाति - धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी

उम्र -

व्यवसाय -

निवासी - वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विक्रेता बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा, तहसील-वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, जिला -रीवा से ग्राम अटरिया तहसील रीवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग $20 \times 52 = 1040$ वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर विक्रय मूल्य रुपये..... मे क्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा विक्रेता को अदा कर दिया है। आवेदित भूमि पर विक्रेता के स्थान पर मेरा नामांतरण किया जावे।

बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ----/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

विक्रेता के कथन

नाम पिता/पति का नाम व जाति - बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा
उम्र -
व्यवसाय -
निवासी - वार्ड नं 05, dhekha तहसील हुजूर रीवा

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा क्रेता धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश से ग्राम क्रेता धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी अटरिया तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग $20 \times 52 = 1040$ वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर विक्रय मूल्य रुपये में विक्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा क्रेता से प्राप्त कर लिया है। आवेदित भूमि पर मेरे स्थान पर क्रेता का नामांतरण किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

नायब तहसीलदार
तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

कार्यालय पटवारी हल्का नम्बर 54 ग्राम अटरिया तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

प्रति,

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय,

तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय :- नामांतरण प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत ।

संदर्भ :- न्यायालय के प्रकरण क्रमांक ---- /अ-6/2023-24 दिनांक / /2023 के पालन में ।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश द्वारा ग्राम अटरिया स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग 20*52=1040 वर्गफीट हेक्टर पर नामांतरण किये जाने हेतु जाँच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

क्र.	जाँच के बिन्दु	
1	राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं ?	
2	राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?	
3	राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं ?	
4	म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?	
5	वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?	
6	मौके पर भूमि सिंचित है या अंसिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा अंसिंचित है ?	
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?	
8	कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख तो नहीं है ?	
9	उक्त भूमि पर बैंक बंधक है या नहीं	
10	नामान्तरण किये जाने कि अनुसंशा है अथवा नहीं ?	

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, जिला - रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - ----/अ-6/2023-24

धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी,
निवासी - वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश(म.प्र.)
(क्रेता).....आवेदक

विरूद्ध
बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा
निवासी - वार्ड नं 05,dhekha तहसील हुजूर रीवा (म.प्र.)
(विक्रेता).....अनावेदक

//आदेश//

पारित दिनांक - ____/____/2023

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत नामान्तरण संबंधी)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक (क्रेता) धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी- वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश (म.प्र.) के द्वारा भू -राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत विक्रेता बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा निवासी - वार्ड नं 05,dhekha तहसील हुजूर रीवा (म.प्र.) के स्थान पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP328492023A12025715 दिनांक 22-06-2023 के आधार पर ग्राम - अटरिया तहसील - वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग 20*52=1040 वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर पर नामान्तरण किये जाने का निवेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया । आवेदक ने आवेदन के समर्थन में खसरा बी- 1 रजिस्टर्ड दानपत्र, विक्रेता का शपथ- पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयावधि उपरांत आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । प्रकरण में मौजा पटवारी अटरिया से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें पटवारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है - 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि नहीं है 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में विक्रेता के नाम से दर्ज है 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि नहीं है 4. म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित नहीं है 5. कब्जे संबंधी विवरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में उल्लेखित है 6. मोक़े पर भूखंड हैं । 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा हैं । 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख नहीं है 9. उक्त भूमि बैंक में बंधक दर्ज नहीं है । राजस्व रिकार्ड में विक्रेता का नाम आवेदित भूमि पर दर्ज होना बताया व रिकार्ड अनुसार नामान्तरण किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी ।

मेर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन अध्ययन व परीक्षण किया गया जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, विक्रेता का शपथ पत्र, पटवारी मौजा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी निवासी - ग्राम वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश (म.प्र.) द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए, ग्राम अटरिया तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 341 रकबा 0.384 हेक्टेयर के 202/384 भाग में से अंश भाग 20*52=1040 वर्गफीट कुल सर्वे नम्बर 01 कुल रकबा 0.010 हेक्टेयर पर विक्रेता बृजेन्द्र कुमार तिवारी, राजीव कुमार मिश्रा, निवासी - ग्राम वार्ड नं 05,dhekha तहसील हुजूर रीवा (म.प्र.) के स्थान पर आवेदक (क्रेता) धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी, निवासी - ग्राम वार्ड no 6 बम्हनगंवा, रघुराजनगर जिला सतना मध्यप्रदेश (म.प्र.) का नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है । मौजा पटवारी को पृथक से आदेश जारी कर 07 दिवस में संशोधित खसरा प्रति मंगाई जाये । बाद पूर्णता प्रकरण समाप्त होकर दायर रिकार्ड दाखिल हो ।

आदेश आज दिनांक / /2023 को मेरे बोलने पर टंकन
किया गया व मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
तहसील - वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर

क्रमांक /री-1/2023
/2023

तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर, दिनांक /

प्रतिलिपि,

पटवारी मोजा अटरिया तहसील वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

नायब तहसीलदार
तहसील - वृत्त बनकुइया तहसील हुजूर